कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक .02.2020

क्र./कॉलेज/एफ–1474/A190245/ /2020

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा–24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रानिक एंड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित डॉ. सी.व्ही.रमन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईस को खंडवा जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2019–20 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	Bachelor of Physiotherapy	Degree	50
02	Bachelor in Medical Lab Technician	Degree	50
03	Diploma in Medical Lab Technician	Diploma	50

आवश्यक निर्देश :–

1. संस्था को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम–विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 02 मार्च 2020 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद के नियम–विनियम अनुरुप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
4. शासन/परिषद की ओर से समय–समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
5. संस्था को उपरोक्त समस्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) ~~निर्धारित तिथि तक म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद को~~ दिनांक 02 मार्च 2020 तक अनिवार्य रुप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्भ शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त आदेश जारी होने के पन्द्रह दिवस के भीतर संस्था को **म.प्र.सह–चिकित्सीय परिषद, के पक्ष में सावधि जमा** बैक–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जी.टी.व्ही. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल के **खाता क्र. 3716746750 आई.एफ.सी. कोड नं. CBIN0281013 में** राशि रुपये तीन लाख की सावधि जमा के रुप में जमा कर बैक द्वारा आवश्यक सत्यापन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. डिप्लोमा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबंद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

आवक क्र. - 391